राजस्थान – सरकार

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) पाली

निविदा फार्म

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), पाली द्वारा विधानसभा आम चुनाव, 2018 हेतु अल्पाहार व्यवस्था बाबत् दर संविदा (Rate Contract Under Rule 29 of RTPP Rule 2013)
2. नाम व पता निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का :

   ....

   ....टेलीफोन नं. ....

   फर्म का GST नम्बर .... पैन नम्बर ....(फोटो प्रति संलग्न)

3. सन्दर्भ टेण्डर क्रमांक .... दिनांक ....
4. टेण्डर फार्म फीस रूपये 200/– रसीद संख्या .... दिनांक .... के द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा दिये गये हैं।
5. मेरी फर्म/ मुझे उक्त निविदा की सभी शर्ते जो कि आप द्वारा निर्धारित हैं, मैने पढ़ ली हैं तथा हमें मान्य हैं।
6. अल्पाहार की दरें समस्त करों सहित निम्नलिखित हैं–(दरो मे सामान, मजदुरी, बर्तन, ईंधन, परिवहन आदि समस्त शामिल है)

क्र.सं.	सामग्री	दर
1.	प्रातः 8 बजें चाय 1 (70 ML) व नमकीन (मिर्चीबड़ा/समोसा/कोपता) पीस बड़ी साईज तथा 2 ब्रेड, प्रातः 10.30 बजें अल्पाहार (पैंकिग जिलेटिन में मय बाक्स) चपाती 4 नग (सिल्वर फोईल पैक) देसी घी का मोतीचूर का लड्डू 100 ग्राम सब्जी – पंचकुटा सही अनुपात में (पाउच पैक), दाल पैक में 100 ग्राम आचार मिक्स 30 ग्राम (पैक में), जीरा राईस पैक में	(चाय + अल्पाहार) (आईटम सं. 1) की सम्पूर्ण दर . . . .
2.	नमकीन मिक्स (सेव, दाल मोगर मिक्स) 50 ग्राम	दर ....प्रति 50 ग्राम
3.	केवल पुड़ी 250 ग्राम (मूंगफली तेल में) (सिल्वर फोईल पैक) आलू मटर सब्जी – 150 ग्राम आचार मिक्स 30 ग्राम (पैक में) बॉक्स पैक	दर . . . .
4.	केवल पुड़ी 250 ग्राम (मूंगफली तेल में) (सिल्वर फोईल पैक) आलू मटर सब्जी – 150 ग्राम आचार मिक्स 30 ग्राम (पैक में) बॉक्स पैक गुलाब जामुन – दो पीस एवं एक चाय	दर . . . .
5.	अतिरिक्त चाय / कॉफी (प्रति 70 एम.एल.)	दर प्रतिकप चाय................प्रतिकप कॉफी................

क्र.सं.	सामग्री	दर
6.	कोपता/मिर्चीबड़ा/कचौरी बड़ी साईज करीब 100 ग्राम का	दर प्रति नग......................
7.	गुलाब हलवा(कास्टिया, गुलाब जी, मेडतिया) निर्मित	दर प्रति 250 ग्राम ....
8.	सरस निर्मित श्री खण्ड पैक 100 ग्राम (पैक में)	दर प्रति 100ग्राम ....
9.	सरस निर्मित छाछ नमकीन 200 एम.एल. (पैक में)	दर प्रति 200 एम.एल............
10.	सरस निर्मित छाछ मीठी 200 एम.एल. (पैक में)	दर प्रति 200 एम.एल............

7. धरोहर राशि 12000 डी.डी./बैकर चैक/ रसीद संख्या . . . .
   दिनांक . . . . द्वारा आपके कार्यालय में जमा करवा दिये गये हैं।

8. मेरी फर्म का GST नम्बर . . . . हैं जिसका प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया हैं।

9. मेरी फर्म को राजस्थान सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म का नाम एवं पता

निविदा क्रमांकः एफ.6(1)( )लेखा/वि.स.चु./2018/ ....910.... दिनांक 24.9.18
(अल्पाहार की व्यवस्था) की शर्ते

1. निविदा दिनांक 11.10.2018 को दिन के 02:30 बजें तक निर्धारित प्रपत्र में मोहर बन्द लिफाफे में प्राप्त की जायेगी। जिसे उसी दिन दोपहर 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा का निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक 11.10.2018 दिन के 02:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्राप्त किया जा सकता हैं।

2. निविदा के साथ 12000/– रूपये धरोहर राशि डी.डी./बैकर चैक/ रोकड जमा कराने होगे। जिस पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा । धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

3. निविदा की दर स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय का होगा।

4. चाय कागज के डिस्पोजेबल गिलास में देनी होगी। पुड़ी/नमकीन/सब्जी के लिये उपयोग में लाया गया मुंगफली के पोस्टमैन/पंकज/सोनासिक्का आदि तेल में निकालनी होगी। लड्डू सरस डेयरी के देशी घी से बनाकर देने होंगे तथा सारा अल्पाहार उच्च कोटि के खाद्य पदार्थो से निर्मित व ताजा होना चाहिये तथा अल्पाहार का निर्माण इस कार्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष करना होगा। अल्पाहार की दरों में मजदूरी, सामग्री, बर्तन, गैस इत्यादि समस्त दरें शामिल होगी।

5. भोजन/ चाय इस कार्यालय द्वारा जारी कूपनधारी को देना होगा। सामग्री की सप्लाई स्वयं निविदादाता द्वारा मतगणना टेबल पर पंचायत समिति वार करनी होगी।

6. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

7. मतगणना के दिन चाय, नमकीन प्रातः 08:00 बजे तथा भोजन प्रातः 10.30 बजे सप्लाई करना होगा जिसकी अनुमानित मात्रा 2000 होगी। उक्त समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

8. भोजन की क्वॉलिटी अच्छी नहीं होने की दशा में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, नियमानुसार शास्ति भी वसूली जायेगी।

9. निविदा की न्यूनतम दर पर ही निजी/प्रत्याशियो को सशुल्क सामग्री बेची जायेगी तथा राजनैतिक दलों के लिये पृथक से केन्टीन लगानी होगी। केन्टीन का टेन्ट/बर्तन का खर्चा निविदादाता का होगा तथा केन्टीन लगाने वाले को 10000/–रू किराये के जमा कराने होंगे।

10. दरें स्वीकृत होने की 2 दिवस की अवधि में प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत जमा करानी होगी। 500/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर इकरारनामा कराना होगा।

11. उपरोक्त शर्तो के साथ RTPP Rules 2013 की समस्त शर्ते लागू रहेगी। संलग्न ए से डी फार्म पर निविदादाता हस्ताक्षर करें।

12. दर संविदा हेतु RTPP Rules के नियम 29 (ए. से जे.) तक की समस्त शर्ते लागू होगी।

13. निविदादाता को RTPP Rules 80(2) की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।

14. विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र पाली शहर होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलेक्टर) पाली

मुझे उपरोक्त सभी शर्ते मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म का नाम एवं पता

एस.आर.प्रारूप–11

मैं/हम घोषणा करते है कि मैंने/हमने जिस सामग्री की लिये बोली दी है उनका मैं/हम बोनाफाइड निर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/डीलर/वितरक एजेन्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली (निविदा) को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर